

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बिलाड़ा,
जिला—जोधपुर

प्रार्थीगण — लक्ष्मणराम व अन्य

बनाम

अप्रार्थीगण — छैलसिंह व अन्य

धारा 212 आर टी एक्ट

निर्णय

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। आवाज दिलाई गयी। प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

बार—बार रूक रूक कर आवाजे दिलायी गईं मगर प्रार्थीगण अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 18/2018 लक्ष्मणराम वगैरा बनाम छैलसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट 1955 के साथ सलंग्न हो।

निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

